

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|--------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 24/2019 | दावा 88 RTA धारा 136 LRA | 02.04.2019 | 26.07.2019 |

बिन्दु शर्मा पुत्र स्व. श्री गंगाधर जाति ब्राहमण निवासी नई सड़क वार्ड नं. 16, चूरु (राज)
-वादी-

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु

-प्रतिवादी-

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित -

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व कैलाशकुमार शर्मा वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि कस्बा चूरु का निवासी है तथा खेत ख.नं. 218 रोही मोजा कस्बा चूरु तादादी 6.3991 हैक्टे. वादी का पैतृक खेत है, जिसमें वादी के भाई के पुत्र अभिषेक के 2/9 हिस्सा व वादी के भाई की पत्नी कृष्णा के 8/63 हिस्सा व वादी की भतिजी प्रज्ञा के 8/63 हिस्सा व वादी की बहिन सन्तोष के 1/21 हिस्सा व वादी स्वयं का 10/21 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2019 सम्वत 2071-2074 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वास्ते मुलाहिजा जमाबन्दी प्रस्तुत है। यह है कि वादी का नाम सही व वास्तविक श्री बिन्दु शर्मा पुत्र स्व. गंगाधर नाम है व इसी मुताबिक वादी का नाम इसके समस्त सरकारी व पहचान दस्तावेज में नाम श्री बिन्दु शर्मा अंकित है, जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनोद कुमार अंकित है। जबकि दोनों नाम वादी के ही आम बोलचाल में वादी श्री बिन्दु शर्मा को विनोद कुमार कहने के कारण राजस्व अमला की भूल से उक्त नाम दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही व दुरुस्त नाम श्री बिन्दु शर्मा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम त्रुटिपूर्ण होने वादी को अपने कृषि रकबा का कोई फायदा के.सी.सी अनुदान आदि नहीं मिल रहा है। इस कारण वादी को भारी हैरानी, परेशानी, मानसिक क्षति, कष्ट, पीड़ा उठानी पड रही है व वादी उक्त नाम संशोधन करवाने हेतु कई बार प्रतिवादी के यहां गया व निवेदन किया, लेकिन नाम दुरुस्त नहीं कर दिनांक 29.3.2019 को वादी को श्रीमान के समक्ष दावा कर नाम संशोधन करने की डिग्री पत्र करने पर नाम संशोधित किये जाने की कहने पर दावा का वादकारण पैदा हुआ व वादकारण कस्बा चूरु में स्थित होने से दावा सुनवाई की अधिकारिता अदालतवाला को हासिल है।

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

यह कि प्रतिवादी राजस्थान सरकार भू-धारक व राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती उसी के द्वारा की जाने के कारण पक्षकार दावा बनाया गया है तथा प्रतिवादी राजस्थान सरकार के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण बगैर कोई नोटिस दिये दावा पेश किया जा रहा है। यह कि दावा मात्र रिकार्ड दुरुस्ती व नाम दुरुस्ती का है, इस लिहाज से उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अन्य किसी न्यायालय में जैरकार नहीं है व अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

अतः वाद वादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी का स्वीकार फरमाया जाकर निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) खेत ख.नं. 218 रोही मौजा कस्बा चूरु में वादी का नाम विनोद कुमार की बजाय श्री बिन्दु शर्मा संशोधित फरमाया जावे व उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में संधारण करने का आदेश प्रतिवादी को फरमाया जावे व अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या दौराने सुनवाई हो जावे वो भी प्रदान किये जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाबदावा हेतु समय चाहा जो दिया गया। पैरोकार राज की ओर से काफी अवसर व समय दिया जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया जिस पर पैरोकार राज का जवाब अवसर बन्द किया गया। जवाब बन्द होने पर वकील वादी ने निवेदन किया कि पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् को ही साक्ष्यवादी माना जाकर बहस सुनी जावे जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि में वादी श्री बिन्दु शर्मा का घर परिवार में प्यार से बोला जाने वाला नाम विनोदकुमार राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूल से लिख दिया गया जिससे राजस्व रिकार्ड में तभी से उसका नाम विनोदकुमार दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में उसका वास्तविक व सही नाम श्री बिन्दु शर्मा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में वादी के भिन्न भिन्न नाम अंकित होने से वादी को काफी असुविधा व कानूनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपना गलत दर्ज नाम विनोदकुमार के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम श्री बिन्दु शर्मा दुरुस्त करवाने हेतु यह दावा पेश किया है। पैरोकार राज तहसीलदार, चूरु की ओर से दावा के विरोध में कोई आपत्ति अंकित नहीं की गई है जिससे दावा स्वीकार किया जाना उचित नहीं हो। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों से वादी का दावा प्रमाणित तथा भली भांति साबित होता है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे। पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा पेश दावा का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है जिससे राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। अतः नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत् 2071 से 2074 ख.नं. 218 रकबा 6.3991 हैक्टियर रोही चूरु तहसील चूरु में वर्तमान में वादी का नाम विनोदकुमार पुत्र गंगाधर 10/21 हिस्सा दर्ज है तथा वादी के साथ अन्य सह खातेदार वादी के परिवार के सदस्य दर्ज रिकार्ड हैं। प्रदर्श-2ए से प्रदर्श-7ए तक पेन कार्ड सं. AWJPS6028, ड्राईविंग लाईसेन्स नं. आरजे10 20170001781, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रेस अधिस्वीकरण सं. 608, मतदाता पहचान पत्र सं. एचडीसी/1263789, निःशुल्क यात्रा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी परिचय पत्र सं. 608 सभी में वादी का नाम श्री बिन्दु शर्मा अंकित है। प्रदर्श-8 फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा भू-प्रबन्ध विभाग से यह परिलक्षित है कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की है। प्रदर्श-9ए छाया प्रति पासबुक के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर दर्ज विरासतन इन्तकाल संख्या 2059 दिनांक 09.08.10 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनोद दर्ज हुआ है। इस प्रकार पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर दर्ज विरासतन इन्तकाल संख्या 2059 दिनांक 09.08.10 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनोद दर्ज हुआ है जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम श्री बिन्दु शर्मा है। राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम अंकित होने से वादी को काफी कठिनाईयों एवं कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने उक्त गलत चले आ रहे नाम को दुरुस्त करवाने हेतु यह दावा पेश किया है। वादी के समस्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम श्री बिन्दु शर्मा है जबकि विनोदकुमार उसका घर में बोला जाने वाला नाम है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में वादी के भिन्न भिन्न नाम दर्ज होने से उसे कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पैरोकार राज तहसीलदार, चूरु द्वारा विरोध में कोई जवाब पेश नहीं कर अपनी बहस में जाहिर किया है कि वादी के दावा को स्वीकार किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। वादी वादगत कृषि भूमि में 10/21 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है इसलिए वह राजस्व रिकार्ड में अपना सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित कराने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा ख.नं. 218 रकबा 6.3991 हैक्टियर रोही चूरु तहसील चूरु में अंकित खातेदार विनोदकुमार पुत्र गंगाधर 10/21 हिस्सा के स्थान पर श्री बिन्दु शर्मा पुत्र गंगाधर 10/21 हिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु
चूरु

डिकी व मुकदमे इबतदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

श्री बिन्दु शर्मा पुत्र स्व. श्री गंगाधर जाति ब्राहमण निवासी नई सड़क वार्ड नं. 16, चूरु
(राज)

-वादी-

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु

-प्रतिवादी-

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट
मुकदमा नं. 24/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व श्री कैलाशकुमार शर्मा एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:-

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा ख.नं. 218 रकबा 6.3991 हैक्टेयर रोही चूरु तहसील चूरु में अंकित खातेदार विनोदकुमार पुत्र गंगाधर 10/21 हिस्सा के स्थान पर श्री बिन्दु शर्मा पुत्र गंगाधर 10/21 हिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिकी मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26 माह जुलाई सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

